दि राजस्थान अरबन को–ऑपरेटिव बैंक्स फैडरेशन लि0, जयपुर

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

(राजस्थान सरकार उद्योग (ग्रुप–2) विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक प.1(50)उद्योग/ग्रुप–2/2019 दि.13 दिसंबर, 2019 द्वारा जारी एवं संशोधित अधिसूचना क.प.1(50) उद्योग/ग्रुप–2/2019 दि. 27 अगस्त, 2021 से संशोधित)

1– प्रस्तावनाः–

प्रदेश में उद्यमों की सरल स्थापना एवं राज्य के सभी वर्गों के व्यक्तियों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने हेतु बैंकों के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की जा रही है। योजना का प्रमुख उद्देश्य स्वयं के उद्यम (विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार) की स्थापना अथवा स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधिकरण या आधुनिकीकरण हेतु कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन करना है। इससे न केवल उद्यम व रोजगार हेतु सुगम ऋण की उपलब्धता संभव हो सकेगी, अपितु इसके उपरांत उन्हें उद्यम के अन्य चरणों हेतु केन्द्रीय/राज्य सरकार की अन्य प्रकृति की योजनाओं का बेहतर लाभ भी प्राप्त हो सकेगा।

2– योजना का नाम एवं प्रवर्तन अवधिः–

योजना का नाम **''मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना''** होगा, इसका कार्यक्षेत्र राजस्थान राज्य होगा। योजना दिनांक 17 दिसंबर, 2019 से 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी रहेगी।

3– योजना का स्वरूपः–

योजना अंतर्गत बैंकों के माध्यम से विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। नये स्थापित होने वाले उद्यम के साथ–साथ पूर्व स्थापित उद्यम भी विस्तार/विविधिकरण/आधुनिकीकरण इत्यादि हेतु लाभान्वित हो सकेंगे। योजना अंतर्गत व्यक्तिगत आवेदक के साथ–साथ संस्थागत आवेदक (स्वयं सहायता समूह/सोसायटी/ भागीगारी फर्म/ एल.एल.पी. फर्म/कंपनी) भी पात्र होंगे। योजनांतर्गत उद्यम की स्थापना क्षेत्र राजस्थान राज्य होगा।

4– पात्रता की शर्तें

क. व्यक्तिगत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होना आवश्यक होगी।

ख. स्वयं सहायता समूह या इन समूहों के समूह का राज्य सरकार के किसी विभाग के अंतर्गत दर्ज होना तथा भागीदारी फर्म, एल.एल.पी. फर्म एवं कंपनी की स्थिति में उनका नियमानुसार पंजीकृत होना आवश्यक होगा।

ग. योजना के तहत ऋण एवं ब्याज अनुदान हेतु आवेदन तिथि के समय भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिभाषा अंतर्गत शामिल सूक्ष्म एवं लघु उद्यम पात्र होंगे। व्यापार हेतु अधिकतम 1 करोड़ रू. का ऋण पात्र होगा तथा ब्याज अनुदान की राशि का दो तिहाई हिस्सा सूक्ष्म उद्योगों को दिये जाने की प्राथमिकता दी जाएगी।

उक्त शर्तों के भीतर विभिन्न संस्थागत आवेदकों के लिये पात्रता, वरीयता आदि से संबंधित अन्य शर्तें उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित की जाने वाली योजना के क्रियान्वयन की मार्गदर्शिका के अनुसार होगी।

5– ऋणदात्री संस्थाएंः–

योजना अंतर्गत निम्नांकित वित्तीय संस्थाएं ऋण उपलब्ध करा सकेंगीः–

(i) राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक।
(ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाईनेंस बैंक
(iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
(iv) राजस्थान वित्त निगम
(v) सिडबी
(vi) अरबन को–ऑपरेटिव बैंक

6– योजना कियान्वयन एजेंसीः–

इस योजना का कियान्वयन उद्योग विभाग के अधीन जिलों में कार्यरत जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा। कार्यालय आयुक्त उद्योग राज्य स्तर पर योजना के कियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु नोडल एजेंसी होगा।

7– ऋण सीमा, ब्याज अनुदान की दर, सम्पार्श्विक प्रतिभूति (Collateral Security) तथा मुद्रा योजना के लाभान्वितों को समाहित करने संबंधी प्रावधानः–

7(1)(अ) **ऋण सीमाः–** इस योजनांतर्गत वित्तीय संस्थानों द्वारा विनिर्माण एवं सेवा आधारित नए उद्यम की स्थापना हेतु भूमि, संयंत्र एवं मशीन, वर्क शैड/ भवन, फर्नीचर, उपकरण, कच्चे माल इत्यादि के लिये अधिकतम 10 करोड़ रूपये (व्यापार हेतु अधिकतम 1 करोड़ रूपये) तथा विस्तार, विविधिकरण एवं आधुनिकीकरण के उद्देश्य से भूमि, संयत्र एवं मशीन वर्कशैड/भवन, फर्नीचर, उपकरण, कच्चे माल इत्यादि के लिये अधिकतम एक करोड़ रूपये तक का ऋण वित्तीय संस्थानों के माध्यम से उपलब्ध कराया जावेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भूमि प्रोजेक्ट का भाग होने पर भूमि हेतु, कुल ऋण राशि का अधिकतम 25 प्रतिशत ऋण ब्याज अनुदान हेतु पात्र होगा।

7(1)(ब) **ऋण का स्वरूपः**– ऋण का स्वरूप प्रोजक्ट की आवश्यकतानुसार विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में कम्पोजिट ऋण अथवा केवल सावधि ऋण तथा व्यापार क्षेत्र में कम्पोजिट ऋण अथवा सावधि ऋण अथवा कार्यशील पूंजी (अधिकतम 25 लाख रूपये तक के ऋण), (सी.सी. लिमिट सहित) होगा।

7(1)(स) **कम्पोजिट ऋण में कार्यशील पूंजी की अधिकतम सीमाः**– विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में कम्पोजिट ऋण का अधिकतम 40 प्रतिशत कार्यशील पूंजी (सी.सी. लिमिट सहित) तथा व्यापार क्षेत्र में कम्पोजिट ऋण का अधिकतम 75 प्रतिशत कार्यशील पूंजी (सी.सी.लिमिट सहित) की मात्रा वाले प्रोजेक्ट ही योजनांतर्गत पात्र होंगे।

7(1)(द) विस्तार/विविधिकरण/आधुनिकीकरण के मामलों में विस्तारित प्रोजेक्ट हेतु लिये गये अतिरिक्त सावधि ऋण एवं कार्यशील पूंजी पर ही ब्याज अनुदान देय होगा।

7(1)(य) :योजना के तहत आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर प्रथम बार स्वीकृत ऋण राशि में किसी प्रकार की वृद्धि ब्याज अनुदान हेतु पात्र नहीं मानी जायेगी।

7(1)(र) **विस्तार/विविधिकरण/आधुनिकीकरण की परिभाषाः–**

पूर्व संचालित उद्यम द्वारा विस्तार/विविधिकरण/आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय संस्थान से प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वर्णित निवेश के मदों हेतु अतिरिक्त ऋण प्राप्त कर उद्यम हेतु विनियोजित किया जाना ही विस्तार/विविधिकरण/आधुनिकीकरण माना जायेगा।

7(1)(ल) **परियो**जना **लागतः–** ऋण राशि एवं उद्यमी के स्वयं के अंशदान को मिलाकर परियोजना लागत की अधिकतम सीमा एमएसएमई की परिभाषा अनुसार लघु उद्यम हेतु उल्लेखित निवेश की अधिकतम सीमा तक होगी।

(ii) **ऋण श्रेणियां एवं ब्याज अनुदानः**– योजना के अंतर्गत ऋण राशि के आधार पर निम्नानुसार 3 श्रेणियों में प्रदत्त ऋण का समय पर चुकारा करने पर निम्नानुसार ब्याज अनुदान देय होगाः–

क.सं.	अधिकतम ऋण राशि	ब्याज अनुदान
1	25 लाख रूपये तक	8%
2	25 लाख रू. से 05 करोड़ रू. तक	6%
3	05 करोड़ से 10 करोड़ रू. तक	5%

(iii) ऋण संबंधी अन्य प्रावधानः–

क. व्यापार हेतु ऋण की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रूपये रहेगी। व्यापार से तात्पर्य वाणिज्यिक उत्पादों का थोक अथवा खुदरा क्रय–विक्रय है।

ख. बुनकर कार्ड धारक बुनकरों के एक लाख रूपये तक के ऋण तथा हस्तशिल्पि/ दस्तकार/ शिल्पी कार्ड धारकों के 3 लाख रू. तक के ऋण, जिसे कंपोजिट ऋण अथवा सावधि ऋण अथवा कार्यशील

पूंजी ऋण (सी. सी. लिमिट) के रूप में लिए जाने पर ब्याज का शत–प्रतिशत पुनर्भरण अनुदान के रूप में किया जाएगा।

ग. यदि बैंक ऋण पर देय ब्याज दर उक्त दर के बराबर या उससे कम है तो शत प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा।

(iv) **सम्पार्श्विक प्रतिभूति (Collateral Security) मुक्त ऋण को प्रोत्साहन** – भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशानुसार 10 लाख रू. तक के ऋण पर सम्पार्श्विक प्रतिभूति की मांग नहीं की जाएगी। 10 लाख रू0 से अधिक के ऋण को Credit Guarantee Trust Fund For Micro and Small Enterprises (CGTMSE) से जोड़ा जा सकेगा। इसमें फीस की राशि का वहन लाभार्थी द्वारा किया जाएगा तथा यदि आवेदक स्वेच्छा से ऋण पर सम्पार्श्विक प्रतिभूति चाहे तो दे सकता है।

(v) वित्तीय संस्थान द्वारा उनकी अपनी योजनाओं में 10 लाख रू. तक का ऋण वितरित पात्र उपक्रम योजना अंतर्गत लाभ हेतु पात्र होगा। ऐसे प्रकरणों में वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण वितरण की प्रथम तिथि से अधिकतम 90 दिवस की अवधि में जिला उद्योग केंद्र को अनुमोदन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। इस अवधि पश्चात् प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। वित्तीय संस्थानों से प्राप्त उक्त ऋण आवेदनों को योजना के नोडल अधिकारी द्वारा पात्रता स्वीकारने हेतु वांछित समस्त दस्तावेज प्राप्त कर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र की अनुमति से इस बाबत संधारित रजिस्टर में प्रविष्ठि पश्चात् संबंधित वित्तीय संस्थान व ऋणी की पात्रता के संबंध की सूचना दी जाएगी तथा प्रगति योजना के पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

8– ऋण की अवधि एवं अदायगी अवधि में छूटः–

योजना में बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज अनुदान की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी। बैंक ऋण की कुल अवधि 5 वर्ष से अधिक हो सकती है, ऐसी स्थिति में ब्याज अनुदान ऋण मात्र 5 वर्ष तक ही देय होगा। बैंकों द्वारा ऋणी को अधिकतम 6 माह की अवधि तक ऋण अदायगी में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी, जो उद्यम की प्रकृति/ लाभप्रदता एवं ऋणी की पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर बैंकों द्वारा निश्चित की जाएगी। ऋण अदायगी की शिथिलता अवधि में भी ब्याज राशि के नियमित भुगतान पर योजना अंतर्गत ब्याज अनुदान देय होगा।

9– आवेदन प्रक्रिया एवं योजना का क्रियान्वयनः–

i. योजना में आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा, जिसकी प्रक्रिया योजना क्रियान्वयन हेतु निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुसार होगी। योजना में आवेदन की सरलता तथा उनकी कार्ययोजना की बेहतर परिणाम देयता के लिये प्रत्येक जिला उद्योग केंद्र में प्रत्येक माह के निर्धारित दिवस को आमुखीकरण एवं मार्गदर्शन हेतु शिविर लगाया जाएगा। इसमें उन्हें न केवल योजना संबंधी जानकारी दी जाएगी अपितु बिना किसी मध्यस्थ के स्वयं आवेदन भरने एवं अनुकूल प्रोजेक्ट तैयार करने की कार्यशाला भी रखी जाएगी, इसमें आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों का भी सहयोग लिया जा सकेगा।

ii. योजना में ब्याज अनुदान भुगतान प्रक्रिया को सरलीकृत एवं पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत किये जाने हेतु भुगतान की ऑनलाईन व्यवस्था अपनाई जावेगी। इस ऑनलाईन व्यवस्था हेतु आवश्यकतानुसार किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान (नोडल संस्थान) से अनुबंध कर पोर्टल बनाने, ऑनलाईन क्लेम प्राप्त करने, ऑनलाईन भुगतान करने तथा तत्संबंधी लेखे संधारित करने, प्रगति विवरण तैयार करने एवं उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु करार किया जाएगा।

iii. ऑनलाईन व्यवस्था हेतु नोडल वित्तीय संस्थान को अनुदान पेटे अग्रिम राशि (कोरपस फण्ड) भुगतान का प्रावधान रखा जा सकेगा एवं इस व्यवस्था के संचालन हेतु व्यय का भुगतान भी किया जा सकेगा।

iv. ऋणों का उनके क्षेत्र, वर्ग एवं उद्देश्य अनुसार समुचित उपयोग एवं मोनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वैल्यूएशन या वेरीफिकेशन कराया जा सकता है, जिसमें प्रक्रिया ऑनलाईन रखी जा सकेगी। इसमें विभाग द्वारा जांच एवं सत्यापन की कार्यवाही की समुचित प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। ऋण वितरण के उपरांत प्रत्येक उद्यमी को पोर्टल से एसएमएस जारी कर उनके फोलो–अप की व्यवस्था की जाएगी जिसमें उद्यमी अपनी समस्या, मांग, सुझाव या प्रगति की स्थिति को लेकर जिला उद्योग केंद्र में निर्धारित दिवस को उपस्थित हो सकता है या विभाग द्वारा प्रदत्त ऑनलाईन सुविधा या एप का उपयोग करते हुए अपना फीडबैक दे सकता है। महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र ऋण वितरण के उपरांत भी इनका

आमुखीकरण एवं इनके बेहतर अपग्रेडेशन हेतु प्रत्येक तीन माह पर शिविर आयोजित करते रहेगे जिसके लिये प्रत्येक आवेदक को एसएमएस से सूचना प्रदान की जावेगी।

v. प्रत्येक जिला उद्योग केंद्र में ऋण पूर्व ओरियेंटेशन, मेन्टरिंग एवं इनक्यूबेशन तथा ऋण पश्चात् मोनिटरिंग व फालो–अप सुविधा विकसित की जावेगी, जिसके लिये प्रत्येक जिला उद्योग केंद्र हेतु एकमुश्त व्यय उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का प्रचार–प्रसार, सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण एवं विविध लिंकेज हतु किसी विशेषज्ञ अथवा निजी एजेंसी की सेवाएं ली जा सकेगी। इन समस्त कार्यों हेतु कुल आवंटित बजट का 5 प्रतिशत रखा जा सकेगा या इस संबंध में पृथक से वित्तीय प्रावधान किया जा सकेगा, जिसका उपयोग ऑनलाईन पोर्टल एवं एप निर्माण, मेंटरिंग एवं इंक्यूवेशन सुविधा, प्रशिक्षण एवं विविध लिंकेज, कार्यालय व्यय, प्रचार–प्रसार, प्रोत्साहन शिविर व बैंकर्स–मीट हेतु किया जाएगा।

10– निर्बन्धन एवं शर्तेः–

(i) योजना अंतर्गत ऋण राशि का उपयोग उसी कार्य हेतु किया जा सकेगा जिसके लिए ऋण स्वीकृत किया गया है।

(ii) ब्याज अनुदान सहायता, उद्यम द्वारा ऋण के समय पर पुनर्भुगतान करने पर देय होगी। ऋणदात्री बैंक द्वारा प्रेषित मांग पत्र में ऋणी के ऋण अदायगी में दोषी नहीं होने व परियोजना के कार्यरतता का उल्लेख करना होगा। ऑनलाईन अनुदान भुगतान संबंधित जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक के प्रमाणन/मान्यकरण पश्चात् किया जा सकेगा।

(iii) ऋण खाता NPA (गैर निष्पादन आस्तियां) श्रेणी में आने के बाद उद्यमी द्वारा कालांतर में नियमित कर दिये जाने पर उक्त अवधि का ब्याज अनुदान भी देय रहेगा, जो ऋण स्वीकृति आदेश की शर्तों के अध्यधीन होगा।

(iv) अपात्र इकाई द्वारा योजना में ब्याज अनुदान लिए जाने पर जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा प्रकरण को निरस्त किया जाएगा जिसके आधार पर चुकाया गया ब्याज अनुदान मय 18 प्रतिशत दण्डनीय ब्याज वसूलनीय होगा।

11– योजना के अंतर्गत अपात्र गतिविधियों की सूचीः–

योजना के अंतर्गत निम्न गतिविधियां अपात्र होंगीः–

(i) मांस, मदिरा व मादक पदार्थों से बने उत्पादों का निर्माण व विक्रय।
(ii) विस्फोटक पदार्थ
(iii) परिवहन वाहन जिसकी ऑन रोड कीमत 10 लाख रू. से अधिक हो,
(iv) पुनः चक्रित न कियें जा सकने वाले पॉलिथिन व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक उत्पाद
(v) भारत सकार/ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रतिबंधित उत्पाद/गतिविधियां
(vi) .....
(vii) खनन, रियल एस्टेट संबंधी गतिविधियां।
(viii) शैक्षणिक संस्थान एवं कोचिंग संबंधी गतिविधियां।
(ix) अलाभकारी संस्थाओं यथा एनजीओ, ट्रस्ट द्वारा संचालित गतिविधियां।

12– अन्य विविध बिन्दुः–

सामान्य तौर पर किसीक्षेत्र में ऋण एवं अनुदान हेतु अन्य विभागों के माध्यम से भी ऋण प्रदान करने एवं रोजगार सृजन की योजनाएं संचालित की जाती हैं, जिसमें राज्य सरकार के अतिरिक्त भारत सरकार के भी विभिन्न विभाग एवं संगठन /परिषद सम्मिलित हैं। उद्योग विभाग आवश्यकतानुसार उनसे समन्वय कर योजना को और सृदृढ़ करने हेतु कार्यवाही कर सकता है। योजना के सुचारू संचालन के संबंध में प्रक्रिया, दिशा–निर्देश व प्रपत्रों के प्रारूप निर्धारण हेतु आयुक्त, उद्योग, राजस्थान सक्षम होंगे। इस योजना में किसी बिन्दु पर व्याख्या, योजना क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के अधिकार आयुक्त उद्योग, राजस्थान में निहित होंगे।

–0–0–0–0–

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

—: योजना कियान्वयन की मार्गदर्शिका :—

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के प्रशासनिक कियान्वयन हेतु निम्नानुसार दिशानिर्देश निर्धारित किये जाते हैं:—

1— आवेदन पत्रों की छानबीन हेतु टास्क फोर्स समितिः—

योजनांतर्गत 10 लाख रू. तक के ऋण आवेदन पत्र महाप्रबंधक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या अधिकारियों द्वारा स्कूटिनी कर स्वयं के स्तर पर अभिशंषित किए जा सकेंगे। इसमें जिस आवेदक का आवेदन निरस्त किया जायेगा वह उसके पुनरीक्षण को महाप्रबंधक को आवेदन कर सकेगा जिसमें उनके द्वारा ही आवेदन के ऊपर यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

योजनांतर्गत 10 लाख रू. से अधिक ऋण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन हेतु एक टास्क फोर्स समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नानुसार सदस्य सम्मिलित होंगे—

(i)	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र	अध्यक्ष
(ii)	जिले के अग्रणी बैंक के अग्रणी जिला प्रबंधक या अग्रणी बैंक का प्रतिनिधि	सदस्य
(iii)	जिले के क्षेत्रीय ग्रामीण बैक का प्रतिनिधि	सदस्य
(iv)	स्थानीय राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय/ पालीटेक्निक/ आईटीआई या सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास संस्थान के प्रतिनिधि	तकनीकी सदस्य
(v)	जिला रोजगार अधिकारी अथवा प्रतिनिधि	सदस्य
(vi)	महिला अधिकारिता विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा प्रतिनिधि	सदस्य
(vii)	जिला स्तरीय अधिकारी, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) अथवा प्रतिनिधि	सदस्य
(viii)	महाप्रबंधक, जि.उ.के. द्वारा मनोनीत विभागीय प्रतिनिधि	सदस्य सचिव

(नोट— उक्त समिति में बैंक के एक प्रतिनिधि सहित न्यूनतम 4 सदस्यों का कोरम होना आवश्यक है।)

टास्क फोर्स समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से आयोजित की जावेगी।

उक्त टास्क फोर्स समिति 10 लाख रू. से अधिक ऋण के आवेदकों के साक्षात्कार के माध्यम से आवेदकों की प्रस्तावित उद्यम के संबंध में शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता, पैतृक/अनुभव से प्राप्त ज्ञान, उद्यम में आवेदक की रूचि, आवेदक की उद्यमिता योग्यता, उद्यम की सफलता की संभावना, बाजार संभावना, ऋण अदायगी के प्रति आवेदक की ईमानदारी आदि का आंकलन आदि के आधार पर योग्य/पात्र लाभर्थियों का चयन करेगी। टास्क फोर्स समिति द्वारा चयन होने पर आवेदक का आवेदन पत्र ऋणदात्री बैंक शाखा को अग्रेषित किया जायेगा।

2— विशेष वर्गो/उद्यमों को वरीयताः—

योजना के अंतर्गत आवेदकों के चयन में निम्नलिखित वर्गों को विशेष वरीयता दी जाएगीः—

1. ऐसे संस्थागत आवेदक, जो दीर्घकाल से सफल स्वयं सहायता समूह के रूप में कार्यरत है अथवा वे उत्पादन के एक स्तर या कौशल को प्राप्त कर चुके हैं अथवा समूहों के समूह के रूप में व्यवसायिक /आर्थिक गतिविधि चलाना या विस्तार करना चाहते हैं।
2. ऐसे आवेदक, जो राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी कौशल में प्रशिक्षित हैं या प्रस्तावित कार्यक्षेत्र में पुरस्कृत हैं।
3. ऐसे आवेदक, जो पूर्व में बैंक के अच्छे ऋणी हों, जिन्होंने बैंक के नियमों के तहत समयबद्ध रूप से ऋण चुकाया हो।

4. ऐसे आवेदक, जो दिव्यांग की श्रेणी में आते हें।
5. ऐसे आवेदक, जो वस्तुतः समाज के सबसे वंचित तबके के रूप में विद्यमान हों, जैसे स्ट्रीट वेंडर, माइनिंग एवं कंस्ट्रक्शन वर्कर, घरेलु वर्कर व असंगठित क्षेत्र के अन्य श्रमिक (इन्हें चिन्हित करने के लिए अलग से नीति या दिशानिर्देश बनाये जा सकते हैं।)
6. ऐसे आवेदक, जिनकी कार्य योजना से समाज के वंचित तबके को विशेष संबल या रोजगार प्राप्त होता हो।
7. ऐसे अनेक श्रमिक हैं, जो किसी उद्यम में लंबे समय तक कार्य करते रहने के कारण वे उस उद्यम के संचालन में निपुण हो चुके हैं, ऐसे श्रमिकों या उनके समूहों को भी विशेष वरीयता प्रदान की जा सकती है। इसी प्रकार किसी उद्यम में परम्परागत रूप से दस्तकार अथवा उससे जुड़े रहे व्यक्तियों को भी वरीयता दी जा सकती है।
8. ऐसे आवेदक, जो वस्त्र बुनाई के कार्य हेतु बुनकर कार्डधारक या हस्तशिल्प में आर्टीजन कार्ड धारक है।
9. ऐसे आवेदक, जो विश्व के अन्य देशों से न्यूनतम 1 वर्ष तक कार्य करके लौटकर आये कामगार एवं उद्यमी हैं।
10. ऐसे आवेदक, जो एक दूसरे की संयुक्त देयता (ज्वांइट लायबिलिटी) या गारंटी लेते हों।
11. ऐसे आवेदक जो किसी ऐसे नवाचार या अनुसंधान को क्रियान्वित करना चाहते हों, जो भविष्य की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हो।
12. ऐसे आवेदक, जिनकी कार्य योजना में अधिक रोजगार सृजन होता हो अथवा पर्यावरण अनुकल प्रौद्योगिकी अथवा गैर परंपरागत उर्जा संसाधनों का प्रयोग होता हो।
13. ऐसे आवेदक जिनकी कार्य येाजना में निर्यात संवर्धन की विपुल संभावना हो।
14. ऐसे आवेदक, जिनकी प्रस्तावित परियोजना से रोजगार व कौशल दोनों बढ़ता हो जैसे –रेडिमेड वस्त्र निर्माण, डिजायन इत्यादि।
15. ऐसे आवेदक, जो सिलिकोसिस कारक/प्रभावित उद्यमों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अनुकूल आधुनिकीकरण हेतु निवेश करना चाहते हैं।
16. स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों को स्वयं का उपक्रम प्रारंभ किए जाने हेतु वरीयता दी जायेगी।

    नोट– योजना के समुचित क्रियान्वयन हेतु आयुक्त उद्योग इनके लिए एक निश्चित टाईम मैट्रिक्स निर्धारित करने में सक्षम होंगे।

3– संस्थागत आवेदकों हेतु पात्रता शर्तें:–

संस्थागत आवेदकों (निर्धारित स्वयं सहायता समूह एवं सोसायटी) हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त पात्रता शर्तें होंगी:–

(a) संस्था/समूह राज्य सरकार के किसी विभाग के दिशा निर्देश/नियम/विनियमन/योजना के अंतर्गत गठित होना चाहिये।

(b) संस्था/समूह के सभी सदस्य राजस्थान राज्य के निवासी होने चाहिये।

(c) संस्था/समूह को राज्य सरकार के किसी विभाग या बैंक द्वारा तत्समय डिफाल्टर घोषित नहीं किया गया हो।

(d) संस्था/समूह के गठन को कम से कम एक वर्ष हो गया हो तथा गठन के एक वर्ष की अवधि के उपरांत भी न्यूनतम एक वर्ष तक सक्रिय रूप से संचालित होना चाहिये। इस अवधि में बचत, पारस्परिक लेन–देन, ऋण इत्यादि का पर्याप्त रिकार्ड संधारित होना चाहिये।

(e) संस्था/समूह से संबंधित समस्त सूचनाएं राज्य सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध होनी चाहिये।

(f) सहकारी सोसायटी जो सहकारी विभाग से पंजीकृत हो एवं जिनके लेखों का नियमित अंकेक्षण हो रहा हो एवं उत्पादन गतिविधि में संलग्न हो, पात्र मानी जाएगी।

चूंकि स्वयं सहायता समूह के संबंध में अनेक विभागों के द्वारा अलग–अलग स्तर पर उनके गठन की कार्यवाही की जाती रही है और उनकी समस्याओं एवं स्थितियों का तदनुरूप परिवर्तन होता रहता है, अतः संबंधित विभाग की अभिशंषा पर आयुक्त उद्योग ऐसे संस्था/समूह आवेदकों हेतु ऐसी पात्रता शर्तों में संशोधन करने हेतु सक्षम होंगे, जिनसे उनकी उद्यमिता और प्रबंधन क्षमता बेहतर होती हो।

4– योजनांतर्गत आवेदन हेतु अपात्र आवेदकः–

निम्नलिखित आवेदक योजना अंतर्गत आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगेः–

(a) ऐसे आवेदक जिनके परिवार में किसी भी सदस्य द्वारा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी भी योजना में विगत 5 वर्ष में पूंजीगत अनुदान अथवा ब्याज अनुदान लिया गया हो।

(b) ऐसे आवेदक जिनके परिवार में कोई भी सदस्य किसी वित्तीय संस्थान/बैंक का डिफाल्टर या दोषी हो। परिवार का तात्पर्य पति–पत्नी तथा नाबालिक बच्चे हैं।

5– योजना अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

(i) पात्र व्यक्ति/संस्थागत आवेदक योजना अंतर्गत विभाग द्वारा निर्धारित ऑनलाईन पोर्टल पर संबंधित जिले के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र को आवेदन करेंगे। 10 लाख रू. से कम ऋण आवेदन पत्रों के सभी वांछित दस्तावेज सही पाए जाने पर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र द्वारा इन्हें बिना किसी साक्षात्कार के सबंधित बैंक शाखा को अग्रेषित कर दिया जाएगा। 10 लाख रू. से अधिक ऋण के आवेदन पत्रों की छानबीन हेतु योजना क्रियान्वयन मार्गदर्शिका के बिन्दु सं. 1 अनुसार महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(ii) योजना में सम्मिलित बैंक शाखाएं भी अपने स्तर पर बैंक नार्म्स अनुसार परियोजना की व्यवहार्यता की जांच उपरांत ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति संबंधित जिला उद्योग केंद्र को मय अभिशंषा के प्रेषित कर सकेंगे।

(iii) जिला उद्योग केंद्र में प्राप्त 10 लाख रू. से अधिक राशि के ऋण आवेदन पत्रों की जांच उपरांत आवेदक को टास्क फोर्स समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा, जिसमें योजना क्रियान्वयन की मार्गदर्शिका के बिन्दु सं. 2 में वर्णित विशेष वर्गों सहित बैंकों से अभिशंषित आवेदकां को वरीयता देते हुए चयनित आवेदकों के आवेदन पत्र ऋण स्वीकृति एवं वितरण हेतु ऋणदात्री बैंक को अग्रेषित किये जा सकेंगे।

(iv) योजना के तहत इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि छोटे–बड़े सभी स्तर पर कार्य करने वाले उद्यमियों के लिये आवेदन हेतु पर्याप्त अवसर हों। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्राप्त आवेदन पत्रों को ऋणदात्री बैंक शाखा द्वारा नियमानुसार ऋण स्वीकृति एवं वितरण/सकारण निरस्त किया जा सकेगा जिसकी सूचना निधारित प्रपत्र में संबंधित जिला उद्योग केंद्र एवं आवेदक को प्रेषित की जाएगी एवं ऑनलाईन पोर्टल पर दर्ज की जाएगी।

अ– योजना के तहत इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि छोटे बड़े सभी स्तर पर कार्य करने वाले उद्यमियों के लिये आवेदन हेतु पर्याप्त अवसर हों। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा मे प्राप्त आवेदन पत्रों को ऋणदात्री वित्तीय संस्थान शाखा द्वारा नियमानुसार ऋण स्वीकृति एवं वितरण/सकारण निरस्त किया जा सकेगा, जिसकी सूचना ऑनलाईन पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। सूचना दर्ज नहीं करने पर ब्याज अनुदान का लाभ देय नहीं होगा।

ब– जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति /नोडल अधिकारी द्वारा अनुमोदित ऋण राशि से अधिक ऋण स्वीकृत किये जाने पर वित्तीय संस्थान द्वारा समग्र ऋण राशि का पुनः अनुमोदन जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति/नोडल अधिकारी से करवाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा पूर्व में अनुमोदित ऋण राशि ही ब्याज अनुदान हेतु पात्र होगी। जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति/नोडल अधिकारी उक्त अनुमोदन को पृथक एजेण्डा के रूप में रख कर अनुमोदित का रिकार्ड संधारित करेंगे।

स– योजना के तहत ऋण आवेदन प्रस्तुति के बाद जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा ऋण आवेदनों की छानबीन पश्चात् प्रति वर्ष उपलब्ध बजट की सीमा में वित्तीय संस्थानों को आवेदन पत्र अग्रेषित किये जायेंगे तथा किसी भी परिस्थिति में प्रावधित बजट सीमा से अधिक दायित्व सृजित नहीं

किये जायेंगे। वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण स्वीकृति एवं वितरण हेतु प्रत्येक स्तर पर निम्नांकित ऋण आवेदकों को प्राथमिकता दिया जाना सुनिश्चित किया जावेगाः–

i. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति संवर्गों से संबंधि अभ्यर्थियों के ऋण आवेदनों को प्राथमिकता देते हुए उस श्रेणी के आवेदकों की पर्याप्त संख्या वाले क्षेत्रों में ऋण वितरण व ब्याज अनुदान का बजट यथासंभव 20 प्रतिशत व 15 प्रतिशत दिया जावेगा।

ii. राज्य के पिछड़े एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों के ऋण आवेदकों को योजना क्रियान्वयन में प्राथमिकता दी जावेगी। पिछड़े एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों/जिलों का निर्धारण वित्त विभाग द्वारा ''राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2019'' के तहत जारी आदेश क्रमांक F.12(39)FD/Tax/2019-Pt-1-232 दिनांक 04.09.2020 के अनुसार होगा।

iii. योजना में यथासंभव 30 प्रतिशत महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करवाने में सहयोग एवं प्राथमिकता दी जावेगी।

iv. योजना के तहत सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमियों में से भी कम ऋण की मात्रा के आवेदनों/प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण प्रदान करवाया जायेगा जिससे अधिकाधिक संख्या में छोटे उपक्रम लगाये जा सकें।

(v) ऋणदात्री वित्तीय संस्थान ऋण स्वीकृति उपरांत संबंधित आवेदक को नियमानुसार ऋण वितरण करेंगे। ऋणदात्री वित्तीय संस्थान द्वारा ऐसे मामलों में ऋणी द्वारा चुकाये गये ब्याज के पुनर्भरण हेतु प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात् निर्धारित प्रपत्र में मांगपत्र (क्लेम) संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र को प्रेषित किये जावेंगे। मांग पत्रानुसार महाप्रबंधक द्वारा योजना अंतर्गत देय ब्याज अनुदान की स्वीकृति एवं वितरण यथाशीघ्र किया जायेगा, जो जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति/नोडल अधिकारी द्वारा अनुमोदित ऋण राशि के अध्यधीन होगा।

(vi) जिन उपक्रमों में ऋण वितरण 02 करोड़ रू. से अधिक होगा, में त्रैमासिक ब्याज अनुदान का भुगतान जिला उद्योग केंद एवं ऋणदात्री बैंक शाखा के प्रतिनिधि की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में उपक्रम के कार्यरत होने एवं ऋण खाता नियमित पाये जाने पर किया जा सकेगा। इकाई के संचालन के सत्यापन हेतु प्रमुख मापदण्ड सूचक (Key Parameter Indicator) के रूप में सृजित रोजगार, चुकाया गया कर एवं प्रोविडेंट फण्ड आदि के दस्तावेज की प्रति ली जावेगी।

(vii) राज्य के लक्ष्यों का आवंटन कार्यालय आयुक्त उद्योग द्वारा जिला उद्योग केंद्रवार किया जायेगा। जिला उद्योग केंद्र को आवंटित लक्ष्य को महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र संबंधित जिले के जिला अग्रणी प्रबंधक की सहायता से सहभागी बैंकों एवं अन्य पात्र वित्तीय संस्थानों के मध्य आवंटित करायेंगे।

(viii) योजना के तहत ऋण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों एवं ब्याज अनुदान हेतु प्राप्त क्लेम प्रपत्रों का निस्तारण ''प्रथम आओ प्रथम पाओ'' के सिद्धांत पर किया जायेगा। इसमें सूक्ष्म व लघु उद्यम, एस.सी./एसटी उद्यमी/अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों के आवेदन पत्रों पर प्राथमिकता के आधार पर ''प्रथम आओ प्रथम पाओ'' के सिद्धांत पर जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति/नोडल अधिकारी के अनुमोदन पश्चात् ऋण स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र वित्तीय संस्थानों को अग्रेषित किये जायेंगे। उपरोक्त श्रेणी के आवेदन पत्र वित्तीय संस्थानों को अग्रेषित करने के पश्चात् ब्याज अनुदान हेतु बजट उपलब्ध रहने की स्थिति में सोलर उर्जा संयत्र स्थापित करने हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज अनुदान हेतु अंतिम वरीयता में शामिल किया जावेगा।

(ix) योजना के तहत किसी भी जिले/पंचायत समिति/नगरीय क्षेत्र में आवंटित लक्ष्य के विरूद्ध अधिकतम दोगुने आवेदन पत्र प्राप्त किये जाएंगे।

(x) योजनांतर्गत प्रति वर्ष आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। आवेदन पत्रों पर ऋण स्वीकृति हेतु योजना में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की अभिशंषा प्राप्त की जायेगी, प्रति वर्ष आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर ब्याज अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया जावेगा। वर्ष के अंत में बचे हुए आवेदन पत्र आगामी वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि तक वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण स्वीकृत किये जाने पर ब्याज

अनुदान हेतु पात्र होंगे। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बचे हुए आवेदन पत्र आगामी वर्ष हेतु निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु शामिल किये जायेंगे तथा इन बचे हुए आवेदन पत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी।

इस योजना की निरंतर मोनिटरिंग खण्ड स्तर पर खण्ड स्तरीय बैंकर्स समिति, जिला स्तर पर जिला स्तरीय बैंकर्स समिति एवं राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के माध्यम से की जायेगी।

6– आवेदक के आवेदन के मूल्यांकन का प्रपत्रः–

आवेदन पत्रों में कार्य योजना की गुणवत्ता के आधार पर बैंकों को अग्रेषण की दृष्टि से निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगाः–

क्र.सं.	बिन्दु	आवेदक की टिप्पणी (आत्म मूल्यांकन के रूप में)	विभागीय मूल्यांकन (प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर टिप्पणी)
A	**आवेदक की श्रेणी के आधार पर वरीयता चाहने हेतु**		
1	क्या आवेदक स्वयं सहायता समूह के रूप में कार्यरत है अथवा समूहों के समूह के रूप में व्यावसायिक/आर्थिक गतिविधि चलाना या विस्तार करना चाहते हैं ?		
2	क्या आवेदक वस्तुतः समाज के सबसे वंचित तबके के रूप में विद्यमान हों, जैसे स्ट्रीट वेण्डर, माइनिंग एवं कंस्ट्रक्शन वर्कर, घरेलु वर्कर व असंगठित क्षेत्र के अन्य श्रमिक के रूप में है?		
3	क्या आवेदक दिव्यांग श्रेणी में आता है?		
4	क्या आवेदक महिला श्रेणी में आता है?		
5	क्या आवेदक कंपनी या फर्म के रूप में दर्ज होने से बेहतर पारदर्शिता की संभावना रखती है?		
6	क्या आवेदक विश्व के अन्य देशों से न्यूनतम 1 वर्ष तक कार्य करके लौटकर आये कामगार एव उद्यमी है?		
B	**आवेदक की उद्यम संभावना के आधार पर वरीयता चाहने हेतु**		
7	क्या आवेदक राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कौशल में प्रशिक्षित या प्रस्तावित कार्यक्षेत्र में पुरस्कृत है या आवेदक की शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता प्रस्तावित उद्यम में सहायक रहेगी?		
8	क्या आवेदक के पास परम्परागत, वंशानुगत अथवा अर्जित अनुभव के आधार पर उद्यम हेतु विशेषज्ञता है अथवा बुनकर कार्डधारक या आर्टीजन कार्डधारक है?		
9	क्या आवेदक पूर्व में बैंक के अच्छे ऋणी हैं, जिन्होंने बैंक के नियमों के तहत समयबद्ध रूप में ऋण चुकाया हो?		
10	क्या आवेदक के उद्यम में एक स्टार्ट–अप के योग्य कोई विशिष्ट नवाचार या संभावना विद्यमान है या वे किसी ऐसे अनुसंधान को कियान्वित करना चाहते हों, जो भविष्य की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हो?		
11	क्या आवेदक का उद्यम निर्यात संभावनायुक्त है?		
12	क्या आवेदक एक दूसरे की संयुक्त देयता (ज्वांइट लायबिलिटी) या गारंटी लेते हैं?		
13	क्या आवेदक कार्य योजना में निर्यात संवर्द्धन की विपुल संभावना है?		
14	क्या आवेदक की प्रस्तावित परियोजना से रोजगार व कौशल दोनों बढ़ता हो?		
15	क्या आवेदक की कार्ययोजना में पर्यावरण अनुकूल प्रोद्योगिकी अथवा गैर परम्परागत उर्जा संसाधनों का समुचित प्रयोग होता है?		

C	अन्य बिन्दु		
16	क्या आवेदक के उद्यम हेतु अपनी भूमि है?		
17	क्या आवेदक के उद्यम हेतु उपलब्ध भूमि में आवश्यकतानुसार भवन निर्मित है?		
18	क्या प्रस्तावित उद्यम स्थापना वाले स्थान में उपलब्ध कच्चे माल या प्राकृतिक उत्पाद के उपयोग पर आधारित है?		
19	यदि उस स्थान पर उस जैसे अनेक उद्यम हैं तो वह किस आधार पर चलने की संभावना मानता है?		
20	क्या प्रस्तावित उद्यम में प्रशिक्षित मानव संसाधन के उपयोग की संभावना है?		

नोटः– यह प्रपत्र मूल आवेदन के साथ ही स्वयं आवेदक द्वारा आत्ममूल्यांकन के रूप में भरा जायेगा, जिसका विभागीय स्तर पर परीक्षण कर समुचित अभिशंषा की जाएगी। उद्योग विभाग द्वारा किसी परियाजना के लिये उनके अतिरिक्त भी बिन्दु बनाये जा सकते हैं, किंतु वे महाप्रबंधक स्तर से अनुसंषित होंगे।

7– मूल्यांकन के उपरांत प्रभारी अधिकारी /टास्क फोर्स की अभिशंषाः–

उक्त उल्लेखित पैरामीटर तथा अन्य बिन्दुओं पर निम्नांकित रूप में टिप्पणी करते हुए आवेदन–पत्र को अग्रेषित करने का निर्णय लिया जा सकेगा।

1	2	3	4	5
बहुत अच्छा	**अच्छा**	**सामान्य**	**समुचित नहीं**	**टिप्पणी**

8– ऋण के संबंध में सामान्य स्पष्टीकरणः–

क– योजना में ऋण हेतु इच्छुक आवेदक दो तरह के हो सकते हैं'–

1. बैंक में ऋण स्वीकृति से पूर्व सामान्य आवेदन करने वाले
2. बैंक से ऋण की स्वीकृति/सहमति करा चुके आवेदक

योजना के समुचित कियान्वयन हेतु आयुक्त उद्योग इनके लिये एक निश्चित अनुपात निर्धारित करने में सक्षम होंगे।

ख– कोई उद्यमी जो उद्यम लगाता है उसमें स्थायी व्यय एवं आवर्ती व्यय के रूप में क्रमशः पूंजीगत लागत (Capital Expenditure) तथा राजस्व लागत (Revenue Expenditure) का प्रावधान होता है, इसमें भी कुल परियोजना लागत के अंतर्गत कुछ राशि उद्यमी द्वारा स्वयं के स्तर पर वहन की जाती है, जिसे उसका स्वयं का अंशदान माना जाता है। बैंक द्वारा सामान्य तौर पर उसकी पूंजीगत लागत (स्थायी व्यय) के लिये कम्पोजिट /सावधि ऋण का प्रावधान किया जाता है और राजस्व व्यय (आवर्ती व्यय) के लिए कार्यशील पूंजी मानते हुए उसकी सी.सी. लिमिट निर्धारित की जाती है। ऋण का स्वरूप कम्पोजिट ऋण/सावधि एवं कार्यशील पूंजी (सी.सी. लिमिट सहित) होगा।

यह अधिसूचना वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 101905669 दिनांक 09.12.2019 पर प्रदत्त सहमति से जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
ह0/–

संयुक्त शासन सचिव